

9.1.18

वकील गौरसायमान उर्फ सायमान व  
उसके आभिभावक उपस्थित नहीं। अर्हे  
कुई वार भावाण लणवाई गई। कोई  
वाजिर जबाब नहीं आया। मूल वाद श्री  
आदम वाजिरी व पैरवी के वारिज किया  
जा चुका है। अतः मूल वाद श्री खैरानी  
के प्राप् 212 राम सायमान खारिज किया  
जाता है। पञ्जावनी फैसलेशुभार लेकर संलग्न  
मूल वाद रहे।

सहायक कलक्टर मुहम्मद नय  
धौलपुर (राज.)